पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान राष्ट्रीय जीन निधि से संचरित

आवेदन पत्र एवं प्रक्रियाएं

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार
एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग,
निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली–110012

पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान राष्ट्रीय जीन निधि से संचरित

आवेदन पत्र एवं प्रक्रियाएं

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली–110012

विषय–सूची

शीर्षक	पृष्ठ सं.
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण परिचय	1
पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान	2
उद्देश्य	2
पारितोषिक/अभिज्ञान की आवर्तता तथा मूल्य	3
पौधा जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान के लिए पात्रता	4
पारितोषिक/अभिज्ञान हेतु कृषकों/कृषक समुदायों की संख्या	4
अपेक्षाएं	5
आवेदन–पत्र (अनुबंध–I)	10
पासपोर्ट सूचना	11
परिशिष्ट–I	13
परिशिष्ट–II	14
परिशिष्ट– III	15
मानचित्र–I	16

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण – परिचय

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) की स्थापना पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना (एसओ 1589–ई) के अनुसरण में 11 नवम्बर 2005 को हुई। प्राधिकरण को नई किस्मों के विकास तथा कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा गया। इस संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की गई कि प्राधिकरण निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगाः

- पौधा किस्मों एवं कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराना;
- कृषि जैव–विविधता की सुरक्षा तथा इसके उपयोग के लिए वांछित प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करना;
- कृषकों को पादप आनुवंशिक स्रोत उपलब्ध कराने तथा उनमें किसी भी समय सुधार करने में किए गए योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करना;
- पौधों की नई किस्मों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना;
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास हेतु किए जाने वाले निवेश से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना;
- देश में बीज उद्योग के विकास हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का कार्यालय एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–1100012 में है और इसमें पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें कृषकों/कृषक समुदायों को विशेष क्षेत्रों में कृषि जैव–विविधता के संरक्षण हेतु, विशेषकर महिलाओं व आदिवासी कृषकों द्वारा किए गए उनके योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करना भी सम्मिलित है।

पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान

यह निर्विविवाद तथ्य है कि कृषक हमारी जैव–विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका संबंध विभिन्न प्रकार की मृदाओं, पारिस्थितिकियों, मौसमों, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक रीति–रिवाजों से है। उन्होंने उच्च उत्पादकता, ताप के प्रति सहिष्णु, अगेती परिपक्वता और सामान्यतः जन–सामान्य के उपयोग हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान संगठनों को अपनी प्रजनन सामग्री उपलब्ध कराई है।

इस प्रकार, संरक्षित तथा अनुसंधान संगठनों एवं निजी बीज कंपनियों को उपलब्ध कराई गई पौधा/कृषि जैव–विविधता से देश की कृषि के विकास में और इसके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि में तेजी आई है। तथापि, विडंबना यह है कि इस प्रकार प्राप्त हुई सम्पदा का लाभ उनके वास्तविक संरक्षकों तथा पौधा/कृषि जैवविविधता के आपूर्तिकर्ताओं को उचित रूप से नहीं मिलता है। यदि वर्तमान आर्थिक मजबूरियों के चलते ऐसी ही स्थिति बनी रही तो लोग पौधा/कृषि जैव–विविधता को संरक्षित करने और उसकी आपूर्ति करने के अपने प्रयासों को त्याग सकते हैं। यह जैव–विविधता के प्रति अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में ऐसी क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है जिससे 'जीन निधि' प्रावधान के माध्यम से कृषकों/कृषक समुदायों को मान्यता प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय जीन निधि की स्थापना की अधिसूचना भारतीय पौधा किस्म जर्नल के खंड 1, अंक 3 में दी गई है।

जैसा कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में बल दिया गया है और यह कहा गया है कि 'यह आवश्यक माना गया है कि कृषकों को किसी भी समय नई पौधा किस्मों के विकास हेतु पौधा आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा उसे उपलब्ध कराने में किए गए उनके योगदानों के लिए कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए तथा उन्हें मान्यता प्रदान की जाए'। अतः प्राधिकरण ने कृषकों को मान्यता प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने उन कृषकों/कृषक समुदायों को मान्यता प्रदान करने और पारितोषिक प्रदान करने की आवश्यकता को अनुभव किया, जिन्होंने अपनी सामग्री की साझेदारी से विभिन्न फसल प्रजातियों की नई किस्मों के विकास में अपना योगदान दिया है। प्राधिकरण ने इन कृषि जैव–विविधता संरक्षकों तथा रक्षकों को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से पादप जीनोम उद्धारक समुदाया अभिज्ञान का शुभारंभ 2007 में किया।

उद्देश्य

प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर की खोज और प्रायोजकों के आधार पर निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाएगा।

- कृषकों को, नई पौधा किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, उसे सुधारने और उपलब्ध कराने में किसी भी समय दिए गए उनके योगदानों को मान्यता प्रदान करना और पारितोषिक देना;
- कृषि जैवविविधता के मूल स्थल पर रहने वाली आदिम जातियों तथा कृषक महिलाओं सहित कृषक समुदायों को पौधा किस्मों से संबंधित कृषि की वृद्धि और विकास में किए गए योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करना और पारितोषिक देना;
- संरक्षण तथा कृषि जैव–विविधता के उपयोग को प्रोत्साहित करके पौधा किस्मों के विकास को उद्दीप्त करना;
- प्रभावी पौधा प्रजनन और वास्तव में नई किस्मों के विकास हेतु जैव–विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता और चेतना सृजित करना;
- ऐसी उत्पादन तथा फसलन प्रौद्योगिकी को संरक्षित करना जो कृषि जैव–विविधता को बढ़ावा देती हो, उदाहरणतः घर के पिछवाड़े बागवानी, झूम खेती, तटवर्ती समुद्री प्रणाली आदि;
- पौधा किस्म विकास से संबंधित सभी प्रकार के पौधों पर आधारित कृषि जैव–विविधता संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

पारितोषिक/अभिज्ञान की आवर्तता तथा मूल्य

पौधा जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा। इस अभिज्ञान पारितोषिक के लिए आवेदन, कृषकों/कृषक समुदायों, संरक्षकों/रक्षकों/अथवा उनके प्रायोजकों से प्रतिवर्ष समाचार–पत्रों तथा सामुदायिक संचार माध्यमों में विज्ञापनों के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।

बड़ी संख्या में पौधा किस्मों के संरक्षण और परिरक्षण को प्रोत्साहित करने और इस प्रोत्साहन को बनाए रखने के लिए देश भर से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये आवेदन भारत की किसी भी राज भाषा में हो सकते हैं।

पौधा विविधता के संरक्षण में कृषकों/समुदायों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रशंसा–पत्र, पदक तथा सामाजिक सम्मान प्रदान करके मान्यता दी जा सकती है। इसके लिए उस कृषक या समुदाय को चुना जाएगा जिसने भूतकाल में नई किस्म के विकास में योगदान किया हो। अतः पीपीवी और एफआर प्राधिकरण पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन करेगा। अभिज्ञान प्राप्तकर्ताओं के योगदानों को भारतीय पौधा किस्म जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा और जनता के ध्यान में यह लाया जाएगा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने कितना बहुमूल्य योगदान दिया है और इसके साथ ही इससे कृषकों की पौधा सामग्री की नकल तैयार करने अथवा उसकी चोरी करने

को हतोत्साहित किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वामित्व का कोई झूठा या गलत दावा न प्रस्तुत किया जा सके।

यह मान्यता व पारितोषिक पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक समारोह में दिया जाएगा। आभार के रूप में प्राधिकरण पुरस्कृत कृषकों/कृषक समुदायों को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों/अन्य एजेंसियों के अध्ययन भ्रमण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि उन्हें देश में होने वाले नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकीय विकासों से परिचित कराया जा सके तथा उनके प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इससे उन्हें कृषि की प्रगति की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा और इस प्रकार ये कृषक/कृषक समुदाय देश की कृषि के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। इसके साथ ही इससे किसानों से एक–दूसरे से विचार–विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा तथा देश की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक एवं जैव–विविधता से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा। पुरस्कार समारोह में अपने निवास स्थान से थल के रास्ते आने–जाने में होने वाला व्यय तथा स्थानीय रूप से उनके आतिथ्य में होने वाला व्यय नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जीन निधि से वहन किया जाएगा।

पौधा जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान के लिए पात्रता

पौधा किस्म जीनोम उद्धारक समुदाय अभिज्ञान सभी उन कृषकों, कृषक समुदायों, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए है, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षण में संलग्न है।

आवेदक को प्रश्रयतः उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, जो प्राधिकरण द्वारा पहले से ही कृषि जैव–विविधता की दृष्टि से 'हॉट स्पॉट' के रूप में निर्धारित किया गया है (मानचित्र)। लेकिन यह भी अनिवार्य नहीं है कि आवेदक केवल इन्हीं स्थानों के निवासी हों। तथापि, जो आवेदक कृषि जैव–विविधता 'हॉट स्पॉट' से हैं तथा कृषि जैव–विविधता का संरक्षण करते हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त 'वेटेज' दिया जाएगा। आवेदक को प्रलेखित प्रमाण देना होगा कि उसने बहुमूल्य कृषि जैव–विविधता अथवा फसल जैवविविधता का संरक्षण किया है और जैव–विविधता से युक्त अपनी सामग्री की भारतीय पादप प्रजनक संस्थानों के साथ भागीदारी की है अथवा सामग्री को वहां जमा कराया है, जिसके परिणामस्वरूप उस सामग्री के साथ संकरण के द्वारा अथवा उस सामग्री के उपयोग से नई किस्में विकसित की गई हैं और उन्हें सामान्य खेती के लिए जारी किया गया है।

पारितोषिक/अभिज्ञान हेतु कृषकों/कृषक समुदायों की संख्या

- प्रत्येक कृषक समुदाय से अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधियों को सार्वजनिक समारोह में अभिज्ञान प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है।

- कृषकों/कृषक समुदाय का योगदान व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दल प्रयास के रूप में हो सकता है, जो नई पौधा किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, उन्हें सुधारने तथा उपलब्ध कराने से संबंधित होगा।

अपेक्षाएं

यह अनिवार्य है कि आवेदक, नई पौधा किस्मों के विकास हेतु सक्रिय पौधा प्रजनन कार्यक्रमों के लिए अपनी सामग्री को उपलब्ध कराने अथवा उसकी साझेदारी करने, उसे संरक्षित करने, उसमें सुधार लाने को सिद्ध करने के लिए कृषक/कृषक समुदाय प्रलेखित प्रमाण प्रस्तुत करे। जिस संगठन या जिन संगठनों ने किस्म को विकसित किया है वे किस्म की वंशावली, उसके संकरण संबंधी विवरण, जन्मद्रव्य के गुण (गुणों) जो विशेष रूप से हस्तांतरित हुआ है, किस्म का नाम या उसके नाम, वर्षवार उगाए गए क्षेत्र का विवरण (लगभग), यह विवरण की बीज सार्वजनिक पौधा प्रजनक द्वारा उत्पन्न किया गया है या निजी पौधा प्रजनक द्वारा, उपज संबंधी लाभ अथवा प्रति हैक्टर प्राप्त लाभ, लाभ का कुल मूल्य और ऐसी सभी सूचना उपलब्ध कराएगा/कराएंगे जिसका सत्यापन किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या कृषि विश्वविद्यालय अथवा ऐसे ही किसी प्रतिष्ठित संगठन को नामांकन प्रायोजित करने चाहिए। चयनित आवेदक/आवेदकों को बीज सामग्री का नमूना जमा करने हेतु सूचित किया जाएगा जिसे सम्पूर्ण विवरण सहित एक टिन पन्नी के लिफाफे अथवा मोटे कागज के थैलों में प्रस्तुत करना होगा। ये थैले लिफाफे भली प्रकार सीलबंद होने चाहिए। किस्म का नाम, कटाई का वर्ष तथा आवेदक का पता बीज के थैले पर उचित ढंग से लिखा होना चाहिए और उसे बीज के थैले के अंदर रखा जाना चाहिए।

आवेदन पत्र/प्रस्ताव/प्रायोजक

आवेदन–पत्र अनुबंध–I में दिया गया है। पूरी तरह भरे हुए फार्म का एक सैट, जो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) अथवा ऐसी ही किसी पंजीकृत प्रणाली से प्रायोजित हों तथा प्रस्ताव को पदनियुक्त प्राधिकारियों ने सत्यापित किया हो, प्राधिकरण के पास निर्धारित अंतिम तिथि के पहले पहुंच जाने चाहिए। जिन चयनित आवेदनों के साथ संरक्षित किस्मों की पौधा जैव–विविधता के बीज पैकेट नहीं होंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां कृषि जैव–विविधता को बढ़ाने के लिए कृषि प्रणालियां कृषक (कों)/कृषक समुदाय द्वारा विकसित की गई हैं, वहां प्रलेखित प्रमाण देना अनिवार्य है। अपने दावे को और पुष्ट करने के लिए आवेदन के साथ सीडी/प्रकाशन/समाचार–पत्र या पत्रिका की कतरन/किसी सामाजिक अभिज्ञान का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

दिशा–निर्देश तथा आवेदन–पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.plantauthority.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, नामतः वचनबद्धता–पत्र, पासपोर्ट सूचना, किस्मगत प्रजनन कार्यक्रम का विवरण (परिशिष्ट–1), जननद्रव्य की भागीदारी के निष्पादन संबंधी विवरण

(परिशिष्ट–2) तथा अन्य संबंधित सूचना पूर्णतः भरे गए आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसके साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर दावे की पुष्टि करने वाले पृष्ठांकनकर्ता के भी प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदन प्राधिकरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय में निम्न पते पर भेजे जाने चाहिए।

रजिस्ट्रार
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली–110012
टेलीफोन : 011–25840777 (कार्यालय); 011–25840478 (फैक्स)
09818713591 (मोबाइल)
ई–मेल : plantauthority@gmail.com

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित)

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव

नई दिल्ली–110012

पौधा जीनोम उद्धारक समुदाय विज्ञान हेतु आवेदन पत्र

वर्ष__________ **यहां भरें ↓**

1.	आवेदक (कों) का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	डाक–पता : ब्लॉक...................................... गांव .... जिला ....राज्य........................ पिन...	
3.	स्थिति (एकल/संयुक्त/ समुदाय/संस्था) (कृपया अपने दावे इस प्रकार स्पष्ट टाइप करें/लिखें कि वे पढ़े व समझे जा सकें)	
4.	क) आवेदक किस कृषि जैवविविधता 'हॉट स्पॉट' से संबंधित है? ख) फसल जिसके संरक्षण के प्रयास किए गए ग) विकसित की गई ऐसी विधियां जिनसे जैव–विविधता को बढ़ावा मिला हो, यदि कोई हो (विस्तार से बताएं–प्रमाण संलग्न करें)	
5.	संरक्षण का क्षेत्र व स्थान	
6.	उस क्षेत्र का नाम जहां जननद्रव्य व कृषक द्वारा संरक्षण के प्रयास सघन व महत्वपूर्ण हैं (विवरण दें)	

7.	उस सामग्री का विवरण जिसकी किस्मगत प्रजनन कार्यक्रम में साझीदारी की गई (परिशिष्ट–I)	
8.	क) आनुवंशिक संसाधनों के आधार पर क्या संरक्षित सामग्री से उपयोगी विशेषकों युक्त नई किस्म विकसित की गई और जननद्रव्य की भागीदारी की गई? यदि हां, तो किसके साथ? (विवरण दें) (परिशिष्ट–II में) ख) ऐसे प्रयासों से कितनी किस्में निकलीं और ये प्रयास किस एजेंसी द्वारा किए गए?	
(i)	कौन सा विशिष्ट विशेषक है जो उपयोगी सिद्ध हुआ है?	
(ii)	जब किस्म लोकप्रिय हुई तो कितने क्षेत्र में उगाई जा रही थी/है?	
(iii)	कितने वर्षों से यह किस्म उगाई जा रही है?	
(iv)	क्या नई किस्म को बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था?	
(v)	यदि हां, तो प्रजनक/आधारभूत/प्रमाणिक बीज उत्पादन का वह विवरण दें जो किसानों के रिकार्ड से सत्यापित हो सके।	
(vi)	क्या किस्म उस क्षेत्र/आंचल के लिए जारी की गई जहां से आनुवंशिक विविधता की आपूर्ति हुई थी?	
(viii)	उस संगठन का नाम बताएं जिसने उपयोगी संसाधन को पहचाना और किस्म विकसित की।	
(viii)	क्या कृषक समुदाय को किस्म विकास हेतु इस संरक्षण प्रयास के लिए पहले कोई पारितोषिक या अभिज्ञान प्राप्त हुआ है?	
9.	तीन एजेंसियों, एक सरकारी तथा दो गैर–सरकारी संगठनों, के नाम बताएं जिनके द्वारा दावे किए गए	

	(i) सरकारी .... (ii) गैर–सरकारी संगठन–I.......................... (ii) गैर–सरकारी संगठन–II........................	
10.क)	प्रमाण / बीज सामग्री (20 ग्रा.) लेबल पर निम्नलिखित विवरण के साथ एक थैले में भली प्रकार पैक करके भेजें (चयनित आवेदक के लिए) (बीज नमूनों का थैला संलग्न किया जाना चाहिए) परिशिष्ट–III (i) आवेदक का पूरा नाम व पता (ii) फसल का नाम (iii) किस्म का नाम (iv) बीज की मात्रा (v) बीज सामग्री की कटाई की तिथि व वर्ष (vi) बीज सामग्री की पैकिंग की तिथि	
ख)	अपने दावे के संबंध में अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य गांव के व्यक्तियों से प्राप्त दो अनुशंसा–पत्र संलग्न करें	

अनुबंध–I

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित)

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव

नई दिल्ली–110012

वचन–पत्र

(उस समुदाय/संगठन/पंजीकृत सोसायटी की अनौपचारिक स्वीकृति संलग्न करें जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसने संसाधन संरक्षण किया है और उसकी भागीदारी की है)।

उस व्यक्ति का नाम व पता/टेलीफोन सं./ई–मेल, जिसके साथ रजिस्ट्रार, पीपीवी और एफआरए को पत्राचार करना है :

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

कृषि जैवविविधता 'हॉट स्पॉट' संख्या (मानचित्र–I के अनुसार)..

पता (स्पष्ट अक्षरों में) ....

ई–मेल ....

टेलीफोन ....मोबाइल..

मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों का उल्लेख है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उस कृषि–जैवविविधता के संरक्षण में सम्मिलित नहीं है, जिसका उपयोग नई किस्म को विकसित करने के लिए किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सामग्री का संरक्षण और उसकी खेती उस/उन आवेदक (कों)/कृषक/कृषकों के समूह/कृषक समुदाय द्वारा किया गया/की गई, जो उपरोक्त गांव (वों) का/के स्थाई रूप से रहने वाला है/वाले हैं तथा मैं, आवेदक कृषक/कों/कृषक समूह अथवा समुदाय और प्रत्याशी किस्म से भली प्रकार परिचित हूं (दिए गए विकल्पों में से अवांछित को काट दीजिए)।

यहां सत्य और केवल सत्य ही बोला गया है और न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही आवश्यकता से अधिक विवरण दिया गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक : **(कृषक समूह/उनका प्रतिनिधि)**

स्थान :

उस संगठन का नाम जिसने
नाम जिसने सत्यापन व समर्थन किया है
(सील व तिथि सहित हस्ताक्षर)

टिप्पणी : 1. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर कृपया हस्ताक्षर करें।
2. कृषक (कों)/कृषक समुदाय के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित)

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव

नई दिल्ली–110012

पासपोर्ट सूचना

कृषक किस्मों की वस्तु–सूची, गुण–निर्धारण तथा प्रलेख हेतु संकेतक

I. सामान्य

1. **देसी नाम :**
2. **क्या नाम** : क्षेत्र/विशेषक/समुदाय आदि को प्रतिबिंबित करता है?
   (उदाहरण के लिए 60 (साठ) दिन की किस्म के लिए साठिया)
3. **उपलब्धता का क्षेत्र** : क्षेत्र/राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव आदि से संबंधित
4. **विकास करने वाला समुदाय** : नस्ल समूह/समुदाय/कृषक आदि से संबंधित
5. **अपनाए जाने का क्षेत्र :**

(क) **भौतिक** : वितरण/प्रसार/एकड़

(ख) **जैविक** : पारिस्थितिक–भौगोलिक क्षेत्र/कृषि–पारिस्थितिक प्रणाली/उत्पादन प्रणालियां जहां आप रहते हैं

(मानचित्र–I कृपया देखें)

II. विकासात्मक इतिहास

1. सर्वप्रथम किसने पहचाना (कृषक या समुदाय का नाम)
2. पूर्वजता (चयन)
3. उगाए जाने की अवधि (वर्षों में)

III. उपयोगाधीन बीज प्रणाली

1. औपचारिक
2. अनौपचारिक

क) स्वयं–शाश्वत (भंडारण/संरक्षण की विधियां)

ख) विनिमय (कृषक से कृषक; समुदायों के बीच)

ग) बाजार (स्थानीय, अनाज मंडी)

गुण

I. सस्यविज्ञानी

1. मृदा प्रकार (एल्फिसॉल/वर्टीसॉल आदि)
2. pH आदि (अम्लीय/क्षारीय आदि)

II. जैविक

1. उपस्थित रोगों, नाशकजीवों व अजैविक घटकों के प्रति प्रतिक्रिया
2. संरक्षित जननद्रव्य/अथवा फार्मिंग प्रौद्योगिकी के अनूठे/विशिष्ट गुण

सूचना का स्रोत

परिशिष्ट–I

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित)

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव

नई दिल्ली–110012

उस सामग्री का विवरण जिसकी किस्म प्रजनन कार्यक्रम में मुफ्त भागीदारी की गई

1. फसल (संरक्षित) का नाम ....
2. किस्म का नाम ....
3. पौधे की ऊंचाई (सें.मी. में) ....
4. पुष्पन की अवधि (दिन) ....
5. परिपक्वता की अवधि (दिन) ....
6. उपज (क्विंटल / हैक्टर) ....
7. रोग–प्रतिरोध / सहिष्णुता की सीमा .... आंशिक / पूर्ण
8. कीट व नाशकजीव सहिष्णुता की सीमा .... आंशिक / पूर्ण
9. बीज का रंग ....
10. फसल उगाने हेतु अपनाई जाने वाली विशेष सस्यविज्ञानी विधि ....

    ....
11. खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हैक्टर में) ....
12. पर्यावरणीय स्थिति,यदि कोई हो; उदाहरणतः बारानी / सिंचित / असमतल / नदी– तट / बाढ़ संवेदी आदि ....
13. विशेष गुण, यदि कोई हो ....

    (i) दाने की गुणवत्ता ....

    (ii) मूल्यवर्द्धन, यदि हो सकता हो ....

    (iii) ....

    (iv) ....
14. उस संगठन का नाम जिसके साथ सामग्री की भागीदारी की गई ....

    ....

    ....

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित)

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव

नई दिल्ली–110012

आनुवंशिक संसाधनों के आधार पर क्या नई किस्म का विकास संरक्षित व भागीदारी के जननद्रव्य से उपयोगी गुण लेकर किया गया, यदि हां, तो किसके साथ (विवरण दें) :

1. संरक्षित जननद्रव्य का उपयोग करके विकसित की गई किस्मों का नाम

   ....

   ....

2. उस/उन संगठन(नों)/संस्था(ओं) का नाम जिस/जिन के साथ संरक्षित जननद्रव्य की भागीदारी की गई तथा विकसित किस्म (मों) का/के नाम

   ....

   ....

3. यदि सामग्री की कृषकों के साथ निशुल्क भागीदारी की गई तो निम्नानुसार सूचना उपलब्ध कराएं..

   (i) .... जननद्रव्य की भागीदारी का स्तर ....

   (ii)..भागीदारी वाले जननद्रव्य का क्षेत्र (हैक्टर में)..

बीज थैले के लिए लेबल*

आवेदक का नाम :

फसल : स्थान :

किस्म : उगाए जाने का मौसम :

कब कटाई की गई :

*प्रत्येक थैले पर कृपया उक्त विवरण दें।

परिशिष्ट–III

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित)

एनएएससी काम्प्लैक्स, दूसरा तल, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव

नई दिल्ली–110012

संरक्षित जननद्रव्य की बीज सामग्री प्रस्तुत करने हेतु प्रारूपः

I. कृषक/कृषक समुदाय का नाम ....

II. टेलीफोन सं. सहित पूरा डाक पता ....

....

III. बीज की मात्रा ....कि.ग्रा./ग्रा.

राष्ट्रीय जीन निधि के अंतर्गत मान्यता के उद्धेश्य से भारत के सत्रह कृषि–जैवविविधता वाले प्रमुख क्षेत्र (हॉट–स्पाट)

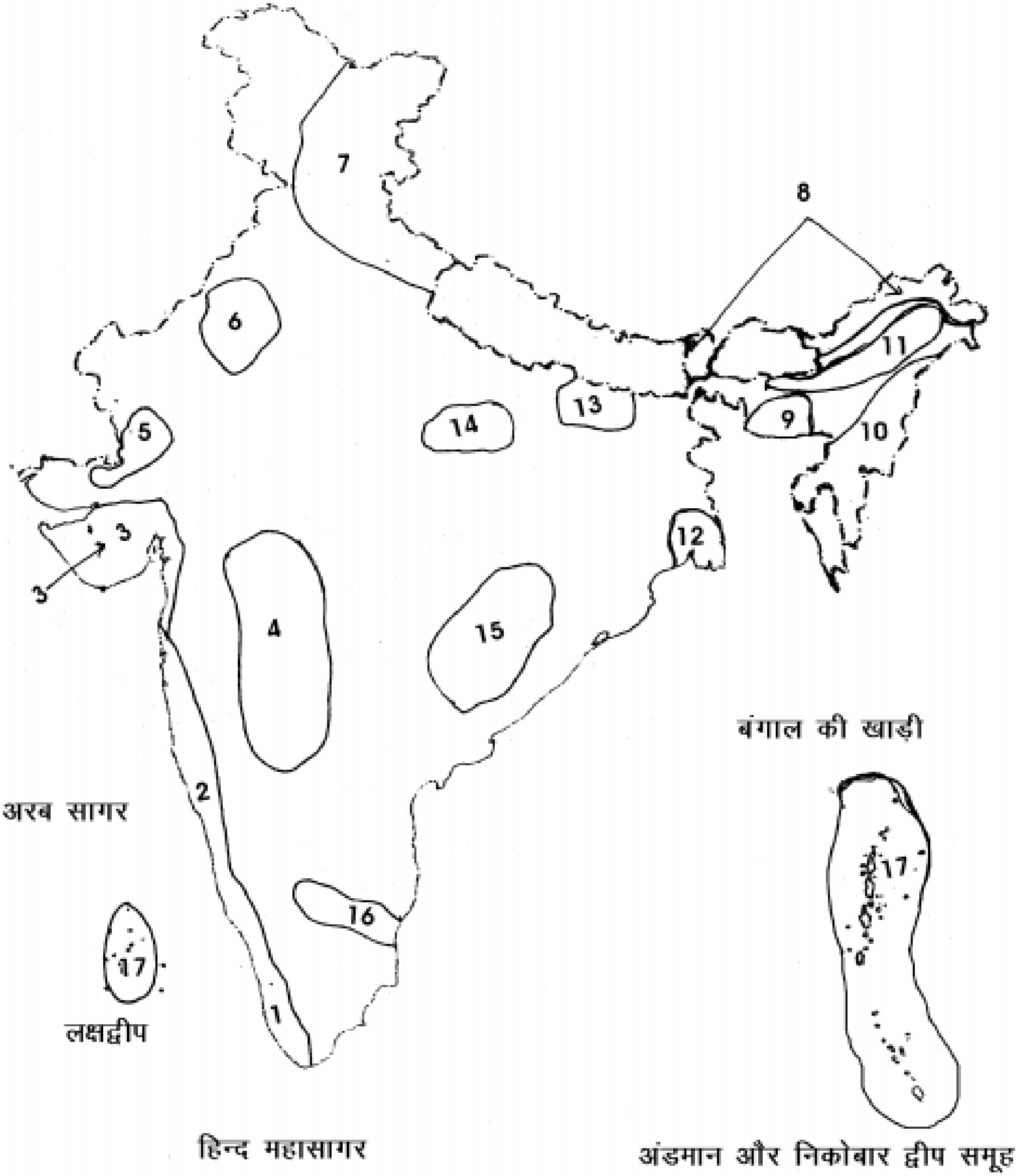

(अ) क्या आवेदक इनमें से क्षेत्र का निवासी है

न	हां
	✓

यदि हां तो किस क्षेत्र से

0	5

उपरोक्त उदाहरण के अनुसार अपने को दर्शाए

राष्ट्रीय जीन निधि के अंतर्गत मान्यता के उद्देश्य से भारत के सत्रह कृषि–जैवविविधता वाले प्रमुख क्षेत्र (हॉट–स्पॉट)

क्र.सं.	प्रमुख क्षेत्र	राज्य	आने वाला क्षेत्र/जिला
1.	टैवनकोर और मालाबार	केरल	कासरगोड़, कन्नूर, वायनाड, मालपुराड़, पालकाड़, त्रिशूर, इडुक्की, एरणाकुलम, कोच्चि, अलपुज्हा, कोल्लम, कांजीकोड, कोट्टायम, तिरूअनंतपुरम, पतारामिथिता
2.	कोंकण तट	महाराष्ट्र गोआ	थाणे, रायगढ़, रत्नगिरी, सिंधुदुर वर्ना, मार्गुआ, बेर्नालियम,कुर्कोरम, सान्गुएम, क्यूपेम, नेट्रोली, चौड़ी, मशेम, पोलेम, भार्स
3.	गुजरात का रन और काठियावाड़	गुजरात	अहमदाबाद, सुरेन्द्र, नगर, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, भडौच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, बनसकांठा, आनंद, बदोदरा
4.	लीवार्ड दक्खन का पठार	कर्नाटक महाराष्ट्र	उत्तर कन्नड़, उडिपि, दक्षिण कन्नड़ तथा शिमोगा और चिकमंगलूर का उत्तरी भाग जालना, हिंगोली, परभणी, बीड़, नानेड, लातुर, ओस्मानाबाद, शोलापुर, सांगली, गोंडिया, गढ़चेराउली
5.	उत्तरी गुजरात/मेवाड़	गुजरात राजस्थान	बनसकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, कच्छ सिड़ोई, उदयपुर, डुंगरपुर, जालौर
6.	शुष्क जोधपुर–बीकानेर पट्टी	राजस्थान	बीकानेर, चुरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर
7.	उत्तर पश्चिमी शीतोष्ण हिमालय और लद्दाख	जम्मू व कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड	लद्दाख लेह, कारगिल, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, रियासी, कश्मीर उत्तर, लाहुल–स्पिति और लद्दाख सम्पूर्ण हिमाचल सम्पूर्ण उत्तराखंड
8.	सिक्किम पहाड़ियां और अरूणाचल हिमालय	सिक्किम अरूणाचल प्रदेश	सम्पूर्ण सिक्किम सम्पूर्ण अरूणाचल प्रदेश

9.	मेघालय की पहाड़ियां	मेघालय	सम्पूर्ण मेघालय
10.	नागालैण्ड / मणिपुर / त्रिपुरा / मिज़ोरम	मणिपुर नागालैण्ड मिज़ोरम त्रिपुरा	सम्पूर्ण मणिपुर सम्पूर्ण नागालैण्ड सम्पूर्ण मिज़ोरम सम्पूर्ण त्रिपुरा
11.	असम का ब्रह्मपुत्र	असम	सम्पूर्ण असम
12.	गंगा का मुहाना	पश्चिम बंगाल	नादिया, वर्धमान, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24–परगना, कलकत्ता, उत्तर 24–परगना, सुंदरबन
13.	निचली गंगा प्रणाली	बिहार	पश्चिम चंपारन, पूर्वी चंपारन, गोपालगंज, सिवान् सितामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारन, बक्सर, भोजपुर, पटना, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर
14.	त्रिवेणी–इलाहाबाद पट्टी	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट, इलाहाबाद, कौशम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, वाराणसी, गाजीपुर, आज़मगढ़ अम्बेदकर नगर
15.	कोरापुट क्षेत्र, बस्तर और आसपास का क्षेत्र	उड़ीसा छत्तीसगढ़	कालाहांड़ी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, मलकनगिरी, सुंदरगढ़, झरसुगंदा, देवगढ़, सोनापुर, बौड़ा, अंगुल, नौपर्था, बालनगिर, फुलबनी कोरिया, सुरगुजा, जशपुर, कोरबा, जंजगिर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग, राजनंदगांव, महासमुंद्र, छमतरी, कांकर, बस्तर, दांतेवाड़ा
16.	कावेरी प्रणाली	तमिल नाडु कर्नाटक	इरोड, नामक्कल, करूड़, पेरम्बुर, अरियालुर, त्रिचुरापल्ली, तंजावुर, तिरूवलुर कोडागू, मैंसूर, चामराजनगर
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप	अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप	सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप एवं सम्पूर्ण लक्षद्वीप